न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 03/2026

जीसीएमएस नम्बर :– 2026/10

अपीलांट :–

गंगाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट, निवासी ग्राम पुनियों की प्याऊ, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम्

रेस्पोडेंट्सः–

1. राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।
2. मदाराम पुनिया, निवासी पुनियों की प्याऊ, तहसील व जिला जोधपुर।
3. थानाराम पुत्र कोलाराम, निवासी ग्राम पुनियों की प्याऊ तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2025 अनवान सरकार बनाम गंगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 के विरूद्ध पेश।

उपस्थितिः– 1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।

2. रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई।

3. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर सरकारी पैरोकार।

: : निर्णय : : – दिनांक : 03.02.2026

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी श्री मदाराम पूनिया, पूनियों की प्याऊ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पूनियों की प्याऊ से लेकर 20 मील स्थित मालाराम जी के घर के पास से हेमनगर जोलियाली सड़क तक जाने वाला मार्ग खसरा संख्या 225, 232, 230,226, 227 में गंगाराम पुत्र हुक्माराम, नेमाराम पुत्र हुक्माराम वगैरा द्वारा बन्द कर दिया गया हैं। उक्त रास्ता पूर्व में भी खुलवाया गया था जिसे पुनः बन्द कर दिया गया हैं। अतः उक्त रास्ते को सुखाचार के तहत शीघ्र खुलवाने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में भूअ.निरीक्षक केरू एवं पटवारी हल्का जोलियाली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा संख्या 232 तक रास्ता चालु हैं तथा खसरा संख्या 232 व 230 की माठ पर बन्द हैं। खसरा संख्या 230 में हल चलाकर (आंशिक भाग) में फसल तारामीरा बोना बताया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी नेमाराम पुत्र हुक्माराम की तरफ से जरिये

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अधिवक्ता आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा केवल निजी सुखाचार के लिए सार्वजनिक मार्ग का अनुतोष चाहा जा रहा हैं जो पोषणीय नहीं हैं। श्रीमान तहसीलदार जोधपुर द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 226, 230, 232, 225 में से रास्ता निकालने के लिए एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रास्ता नक्शों में दर्ज करने के लिए भी प्रस्तुत किया हुआ हैं। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत सक्षम न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर सकता हैं। अप्रार्थीगण थानाराम पुत्र कोलाराम वगैरा पक्ष द्वारा जरिये अधिवक्ता उक्त रास्ता सुखाचार के तहत खुलवाने की सहमति प्रदान करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी नेमाराम पुत्र हुक्माराम की तरफ से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी केवल निजी सुखाचार के लिए सार्वजनिक मार्ग का अनुतोष चाहा रहा हैं जो पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत सक्षम न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर सकता हैं। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132, 136 अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को प्रेषित किया हुआ हैं जो अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार भी स्पष्ट हैं। पक्षो की आपति प्रस्तुत होने के पश्चात भी परिक्षण न्यायालय द्वारा ग्राम पूनियों की प्याऊ के खसरा संख्या 232 व 230 की माठ पर बन्द रास्ते को सुखाचार के तहत खुलवाए जाने का आदेश दिनांक 02.01.2026 को पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत ना कर सीधे ही बहस में भाग लिया।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया है कि तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2025/2317 दिनांक 05.08.2025 को एक प्रस्ताव भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 एंव 136 तथा भू राजस्व(भू.अ.) के नियम 58,59,60,66 व 86 के अंतर्गत स्थायी रूप से चालू कर राजस्व रेकर्ड में अंकित करने बाबत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रेषित कर दिया गया था। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा सभी पक्षकारों को हस्ताक्षर करने हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 02.01.2026 को अपने स्तर पर रिव्यू करते हुए आदेश पारित कर दिया जो कि तहसीलदार जोधपुर को यह अधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी जोधुपर के यंहा पेंडिग प्रार्थना पत्र होते हुए भी तहसीलदार ने जो रास्ता दिया है वो गलत दिया गया है।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया है कि ग्रामवासी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बंद आम कदमी रास्ते को सुखाचार के तहत खुलवाने बाबत पेश किया। जिसमें नियमानुसार उक्त दर्ज रास्ता खुलवाया गया। ये रास्ता शुरू से ही चलायमान था। इसी खसरे से लगभग 50 वर्ष से ग्रामवासी आम आवागमन कर रहे है। जिसका गूगल फोटो भी प्रस्तुत किया गया है।

अपीलांट ने अपनी रिपीटल बहस में बताया है कि इनके द्वारा जो रास्ते की मांग है वो बीच में से की है जो दिया नहीं जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 में सुखाचार के तहत कदीमी रास्ते को खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें इन्हे धारा (2) के तहत सिविल कोर्ट में जाना चाहिये था। तहसीलदार को रिव्यू प्रार्थना पत्र लेने एंव आदेश करने का कत्तई अधिकारी नहीं था। रेस्पोडेन्ट ने इस संबध

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

में 2025(2)RRT1288 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का कानूनी उद्धरण एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 की प्रति पेश की।

हमने अपील प्रार्थना पत्र, वकुलाय द्वारा की गई बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को पुनः विधिवत सुनते हुए, मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, वैकल्पिक मार्ग यदि उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार कार्यवाही करें।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

प्रतिलिपि: क्रमांक: [illegible] 2026/359 दिनांक -05/02/26

1 तहसीलदार जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)